छत्तीसगढ़ विधान सभा

जनवरी-मार्च, 2010 सत्र

दैनिक कार्य सूची

मंगलवार, दिनांक 23 मार्च, 2010 (चैत्र-2,1932)

समय 11:00 बजे दिन

1. प्रश्नोत्तर

पृथकत: वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे.

2. पत्रों का पटल पर रखा जाना

डॉ. रमन सिंह, मुख्यमंत्री, भारत के संविधान के अनुच्छेद 323 के खण्ड (2) की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग का अष्टम वार्षिक प्रतिवेदन (1अप्रैल,2008 से 31मार्च, 2009 तक की अवधि के लिए) पटल पर रखेंगे.

3. नियम 138 (1) के अधीन ध्यानआकर्षण

(1) सर्वश्री कुलदीप सिंह जुनेजा, भजन सिंह निरंकारी, परेश बागबाहरा, सदस्य, प्रदेश के शैक्षणिक संस्थानों एवं इनके परिसर का अन्य कार्यक्रमों के लिये उपयोग किये जाने की ओर स्कूल शिक्षा मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(2) श्री देवजी पटेल, सदस्य, रायपुर शहर के अंदर से जाने वाली नहरों पर अवैध कब्जा किये जाने की ओर राजस्व मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

4. शासकीय विधि विषयक कार्य

(1) श्री अमर अग्रवाल, वाणिज्यिक कर मंत्री, छत्तीसगढ़ आबकारी (संशोधन)विधेयक, 2010 (क्रमांक 10 सन् 2010) के पुर:स्थापन का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुर:स्थापित करेंगे.

(2) श्री अमर अग्रवाल, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री, छत्तीसगढ़ चिकित्सा सेवक तथा चिकित्सा सेवा संस्थान (हिंसा तथा सम्पत्ति की क्षति या हानि की रोकथाम) विधेयक, 2010 (क्रमांक 11 सन् 2010) के पुर:स्थापन का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुर:स्थापित करेंगे.

क्रमश: 2

5. वर्ष 2010-2011 की अनुदान मांगों पर चर्चा

निर्धारित समय			
3 घंटे 30 मिनट	मांग संख्या	1	सामान्य प्रशासन
	मांग संख्या	2	सामान्य प्रशासन विभाग से संबंधित अन्य व्यय
	मांग संख्या	6	वित्त विभाग से संबंधित व्यय
	मांग संख्या	31	योजना,आर्थिक तथा सांख्यिकी विभाग से संबंधित व्यय
	मांग संख्या	60	जिला परियोजनाओं से संबंधित व्यय
	मांग संख्या	12	ऊर्जा विभाग से संबंधित व्यय
	मांग संख्या	25	खनिज साधन विभाग से संबंधित व्यय
	मांग संख्या	32	जनसम्पर्क विभाग से संबंधित व्यय
	मांग संख्या	71	सूचना प्रौद्योगिकी एवं जैव प्रौद्योगिकी
	मांग संख्या	65	विमानन विभाग
	मांग संख्या	11	वाणिज्य एवं उद्योग विभाग से संबंधित व्यय
	मांग संख्या	38	बारहवें वित्त आयोग की अनुशंसा पर प्राप्त होने वाला सहायता अनुदान

6. शासकीय विधि विषयक कार्य

डॉ. रमन सिंह, मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़ विनियोग (क्रमांक-2) विधेयक, 2010 (क्रमांक 6 सन् 2010) का पुर:स्थापन *करेंगे.

रायपुर
दिनांक 22 मार्च, 2010

देवेन्द्र वर्मा
सचिव.

*** मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत होने के तुरन्त पश्चात् .**